न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 02/2023

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023/32

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
भागीरथराम पुत्र मिश्रीजी, कौम–बिश्नोई, निवासी–इंदिरा कॉलोनी सांचौर, तहसील व जिला–सांचौर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 21.03.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की और से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 08.11.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पुश्तैनी हक हकूक की प्रार्थी के माता मुस्मात कसूम्बी की कदीमी कब्जासुदा हकूकसुदा आवासीय भूखण्ड की भूमि मौजा इंदिरा कॉलोनी सांचौर, जिला–सांचौर में स्थित है। जो वर्तमान नेशनल हाईवे नंबर 68 से पूर्व दिशा में स्थित उक्त भूमि का मूल रकबा सरकारी एक बीघा (यानि 0.16) हैक्टेयर है जो मूल रूप से धन्ना वल्द दौलाजी, कौम–भांभीयों के भाट, साकिन–सांचौर को राजमारवाड़ के समय से भरण पोषण प्रयोजनार्थ जोधपुर दरबार द्वारा बख्शीससुदा स्थित होकर प्रार्थी की माता मुस्माात कसूम्बी पत्नी मिश्रीजी बिश्नोई, साकिन–सांचौर को दिनांक 15.05.1955 को उक्त धन्ना से वसीयत में प्राप्त हुई थी। प्रार्थी की माता मुस्म्मात कसूम्बी के देहावसान के बाद प्रार्थी को उक्त मुतनाजा भूमि उतराधिकार हक व बंट में प्राप्त हुई है तथा तब से लगातर आदिनांक उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा में सहज व शांतिपूर्वक स्थित रही है। मौजा इंदिरा कॉलोनी सांचौर की उक्त भूमि साबिक खसरा नंबर 291 रकबा 689 बीघा 10 बिस्वा अप्रार्थी राजस्थान शासन द्वारा इन्द्राज कर वर्तमान नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि 1329/2749 –3557 रकबा 1.00 बीघा इन्द्राज होकर लिपिकीय त्रुटि से [illegible] विभाग जालोर वर्तमान खसरा नंबर 1329/2749–3537 रकबा 1.0[illegible] इन्द्राज अभिलेख के आधार पर गलत क्लैम की जा रही [illegible] नगरपालिका मंडल सांचौर की हस्तांतरित प्रार्थी की पट्टासुदा कब्जासुदा आवासीय भूमि है। जिसका नगरपालिका मंडल, सांचौर से प्रार्थी के नाम पट्टा संख्या 14476/2012 दिनांक 31.12.2012 (रजिस्टर्ड पट्टा) जरिये पत्रावली संख्या 1310/2012 दिनांक 24.12.2012 जारीसुदा होकर कार्यालय उपपंजियक सांचौर से पंजिबद्व है। प्रार्थी की उक्त भूमि के चारों और पक्की दीवार निर्मित होर दक्षिण दिशा की ओर सिरे दरवाजा खुलना है। प्रार्थी की उक्त पट्टासुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.24 13:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

कब्जासुदा भूमि में प्रार्थी का पक्का रहवासी मकान निर्मित है जिसमें प्रार्थी का मय परिवार आवास है। दिनांक 13.01.1977 को मौजा सांचौर की गैर मुमकिन गोचर भूमि खसरा नंबर 291 रकबा 689 बीघा 10 बिस्वा में से कुटीर(लघु) उद्योग लगाने हेतु स्वर्गीय अलारख पुत्र ताजूदीन, कौम–लौहार (मुसलमान) निवासी–रानीवाड़ा ने मैसर्स कमल ऑटो सर्विस एण्ड रिपेयर्स सांचौर के नाम से सरकारी एक बीघा जमीन भू–आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर जालोर के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर जालोर ने तहसीलदार सांचौर, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी भीनमाल से जांच करवाने के बाद आवेदक मैसर्स कमल ऑटो एण्ड रिपेयर्स सेन्टर सांचौर प्रो. अलारख का उक्त आवेदन स्वीकार कर राष्ट्रीय राजमार्ग (तत्कालीन) बाड़मेर गुजरात के पूर्व दिशा में स्थित मालियों के निजी खातेदारी खेत साबिक खसरा नंबर 520 के उतरी सेढ़े से होकर गुजर रहे लाछड़ी मार्ग रेकॉर्ड में इन्द्राज नहीं था के सेढ़ा सेढ साबिक खसरा नंबर 291 रकबा 1.00 बीघा भूमि मैसर्स कमल ऑटो एण्ड रिपेयर्स सांचौर के नाम जरिये उद्योग विभाग जालोर के भू–आवंटित किया गया। जिसका म्यूटेशन संख्या 427/77 दिनांक 11.03.1977 साबिक खसरा नंबर 291/9 रकबा 1.00 बीघा मौजा–सांचौर जो साबिक खसरा नंबर 520 के उतरी सेढ़े से गुजर रहे लाछड़ी मार्ग पर भू–आवंटित किया का उद्योग विभाग जालोर के नाम भरा जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया गया। चूंकि मूल आवंटिती ने आवंटनसुदा भूमि खसरा संख्या 291/9 रकबा 1.00 बीघा पर न कब्जा किया न शर्त अनुसार लघु उधोग लगाया। परिणामस्वरूपः उधोग विभाग जालोर ने मेसर्स कमल ऑटो रिपेयर्स एण्ड सर्विस सेन्टर के नाम कोई लीज तकमील नहीं की, परन्तु आवेदक आवंटिती अलारख मिस्त्री ने इसके बावजूद अपनी राजैनतिक दबाव से जिला कलक्टर जालोर से दिनांक 02.02.1978 को अवैध रूप से कमल ऑटो एण्ड सर्विस सेन्टर सांचौर के नाम लीज निष्पादित करवा ली। वादग्रस्त भूमि जो अप्रार्थी राज्य शासन ने मैसर्स कमल ऑटो सर्विस एण्ड रिपेयर्स सांचौर के साबिक खसरा नंबर 291/9 रकबा 1.00 बीघा साबिक खेत खसरा नंबर 520 के उतरी सेढ़े पर आंवटित कर जरिये म्यूटेशन संख्या 427/77 दिनांक 11.03.1977 को रिकॉर्ड में तजवीज की गई उक्त भू–आवंटित भू भाग पर मैसर्स कमल ऑटो ने न तो कब्जा प्राप्त किया व न लघु उधोग स्थापित किया तब उक्त खाली पड़ी भूमि वादग्रस्त पर लोगों ने अतिक्रमण कर मकान बनवा लिये तथा नगरपालिका मंडल सांचौर से अतिक्रमण के आधार पर पट्टे ले लिये। साबिक खसरा संख्या 500 के खातेदारी खेत के द्वितीय भू–प्रबंध कार्यवाही में नवीन खसरा संख्या, मि[illegible] के अनुसार 1404 वर्तमान रेकर्ड में तजवीज हुए है जबकि खसरा संख्या 291 का [illegible] भू–भाग का वो रकबा जो साबिक खसरा संख्या 520 के उत्तरी सेढ़े से गुजर रहे लाछड़ी मार्ग पर तजवीज किया गया था उसके नवीन खसरा संख्या 1404/3195 व 1395/3[illegible] तजवीज हुए है जिन पर लोगों ने अतिक्रमण होकर मकान बना लेने से अप्रार्थी पक्ष के भू–प्रबंध अधिकारियों ने वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा संख्या 291/9 रकबा 1 बीघा साबिक खसरा संख्या 520 वर्तमान खसरा संख्या 1404 के उतरी सेढ़े के वास्तविक भू–आवंटन स्थान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2024.12.24 13:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ[illegible]ी
सांचौर

जगह लिपिकीय त्रुटि से नवीन खसरा संख्या 1329/2749/3537 रकबा 1 बीघा उधोग विभाग जालोर की विवादित भूमि प्रार्थी की पट्टासुदा कब्जासुदा भूमि खसरा संख्या 291 का रकबा 1 बीघा जिनके वर्तमान नक्शा ट्रेश में तजवीज खसरा संख्या 1329/2749/3537 तजवीज बताकर लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी की पट्टासुदा भूमि से बेदखली कार्यवाही संस्थित की गई है। अतः रेकर्ड दुरूस्ती आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजा सांचौर की मैसर्स कमल ऑटो सर्विस एण्ड रिपेयर्स सांचौर की लीजसुदा विवादित भूमि जिला उधोग जालोर के खेत साबिक खसरा नंबर 520 के उतरी सेढ़े के तत्कालीन लाछड़ी मार्ग पर सेढ़ासेढ़ पुराना खसरा संख्या 291/9 रकबा 1 बीघा भू–आवंटित कर दिनांक 11.03.1977 को जरिये म्यूटेशन संख्या 427/77 रेकर्ड में इन्द्राज की गई द्वितीय भू–प्रबंध के नवीन नक्शा ट्रैस की लिपिकीय त्रुटी सुधारी जाकर उसे साबिक खसरा संख्या 520 के नवीन खसरा संख्या 1404 के उतरी सेढ़ासेढ़ स्थान दुरूस्त किया जाकर रेकर्ड की अधतन दुरूस्ती फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिल तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांचौर के पुराने खसरा संख्या 291 गैर मुमकिन गोचर भूमि में से लधु उधोग हेतु आवंटन बाबत् तत्कालीन पटवारी हल्का सांचौर द्वारा दिनांक 04.11.1973 को मौका जांच कर नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से सड़क सीमा 40 मीटर छोड़कर एन.एच रोड़ से लाछड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते से लगती हुई उतर दिशा में मौके पर खाली एक बीघा भूमि जिला उधोग अधिकारी जालोर के नाम आवंटित करने हेतु प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्ताव श्रीमान जिलाधीश महोदय जालोर को प्रेषित किया। श्रीमान जिलाधीश महोदय जालोर के आदेश क्रमांक/राजस्व/1967 दिनांक 30.07.2024 द्वारा विज्ञप्ति जारी कर उक्त वर्णित प्रस्तावित भूमि को औधोगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र घोषित किया गया। तत्पश्चात श्रीमान जिलाधीश महोदय जालोर के आदेश क्रमांक/एफ 12(3)(48) राजस्व/2021 दिनांक 13.01.1977 द्वारा खसरा संख्या 291 में से औधोगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र घोषित भूमि रकबा 1 बीघा को मैसर्स कमल ऑटो सर्विस एण्ड रिपेयरिंग सांचौर के नाम कमल ऑटो मोबाइल्स एवं सर्विसिंग एण्ड रिपेयरिंग वर्कशॉप हेतु नियमानुसार लीज डीड पर आंवटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला उधोग अधिकारी जालोर को आवंटित कर कब्जा आवंटी को इससे नियमानुसार लीज डीड तकमील कराकर सुपुर्द करने के आदेश प्रदान किया तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया गया कि वे उक्त आवंटित औ... क्षेत्र घोषित रकबा एक बीघा भूमि का कब्जा जिला उधोग अधिकारी जालोर को सुपुर्द कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। श्रीमान जिलाधीश महोदय जालोर के उक्त आदेशों की पालना में दिनांक 04.02.1977 को आवंटित भूमि का मौके पर कब्जा जिला उधोग अधिकारी जालोर को सुपुर्द कर राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि "जिला उधोग अधिकारी जालोर के नाम खसरा संख्या 291/9 रकबा 1 बीघा दर्ज कर नक्शा लट्ठा में आवंटित भूमि का मौके पर सुपुर्द कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kur
Date: 2024.12.24 13:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

अनुसार तरमीम की गई। पुराने खसरा संख्या 291/9 रकबा 1 बीघा से द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा संख्या 1329/2947/3537 रकबा 0.16 हैक्टेयर सृजित हुए जो आवंटन आदेश व कब्जा अनुरूप वर्तमान राजस्व रेकर्ड, नक्शा लट्ठा में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड व नक्शा लट्ठा में कोई दुरूस्ती अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है होने से श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस समायत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा वक्त कब्जा सुपुर्दगी, नक्शा सन् 1953–54 वर्तमान नक्शा, नक्शा भूनाप वर्ष 1986–87, मिलान खसरा क्षैत्रफल एवं तहसीलदार सांचौर के जवाब का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया।

मैसर्स कमल ओटो सर्विस एण्ड रिपेयर्स सांचौर की लीजसुदा भूमि जिला उधोग केन्द्र जालोर की पुराना खसरा नंबर 291/9 रकबा 1 बीघा भूमि दिनांक 11.03.1977 को आवंटित की गई एवं नामान्तरकरण संख्या 427/77 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गई। कब्जा सुपुर्दगी नजरी नक्शा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी को भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा को छोड़कर किया गया तथा लीजडीड के अवलोकन से उक्त भूमि की माप 132 फीट * 132 फीट अर्थात् 40 मीटर * 40 मीटर आवंटन किया गया, अतएव प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षत प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि जिला उधोग अधिकारी, जालोर को आवंटित औधोगिक भूखण्ड पुराना खसरा संख्या 291/9 रकबा 1 बीघा जिसके नवीन खसरा संख्या 1329/2947/3537 रकबा 0.16 हैक्टेयर की तरमीम राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिन्दू से 40 मीटर दूरी से प्रारम्भ कर अर्थात् वर्तमान खसरा संख्या 1329/2947 की राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती सीमा से 10 मीटर छोड़कर लाछड़ी मार्ग के सहारे 132 फीट अर्थात् 40 मीटर लम्बाई एवं 40 मीटर चौड़ाई में तरमीम शुद्ध दर्ज करावें। तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.24 13:38:07 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर